राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाडा

कमांक/जाति प्रमाणपत्र/2022/ 2969 दिनांक 29.06.2022

प्रेषिति:–

1. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता(LSP)
2. समस्त ई–मित्र संचालक

   उपखण्ड क्षैत्र भीलवाडा

विषयः– अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र की वैधता 03 वर्ष होनें के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अन्य पिछडा वर्ग नॉन किमीलेयर के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आम–जन में भ्रांति है कि प्रमाण पत्र की वैधता 06 माह ही है। इस लिए आमजन द्वारा प्रत्येक 06 माह उपरान्त ऑनलाईन आवेदन किया जाता है जिससे कि आमजन को समय और धन की हानि होती है। इस कम में लैख है कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के आदेश कमांक एफ11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प्र/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.2015 में अंकित किया गया है कि अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जारी दिनांक सें 03 वर्ष है।

4. <u>जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि</u> :–
   1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये संबंधी प्रमाण–पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
   2. क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर मे नही होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ–पत्र (परिशिष्ट–ङ) लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 01 वर्ष तथा आगामी 02 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि सम्मत शपथ–पत्र में परिवार (माता–पिता) की आय की घोषणा लेकर पुर्व में जारी नॉन किमिलेयर श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उपयोग में लिया जा सकता है।

अतः उपखण्ड क्षैत्र के समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता(LSP)/ई–मित्र को निर्देशित किया जाता है कि आमजन कों होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचानें के लिए उक्तानुसार ओबीसी नॉन किमीलेयर प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 03 वर्ष (01 वर्ष जारी दिनांक सें एवं 02 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि सम्मत शपथ–पत्र में परिवार (माता–पिता) की आय घोषणा कर) होने के संबंध में जागरूक करावें एवं उसी अनुरूप ऑनलाईन आवेदन करें।

संलग्नः– उक्तानुसार आदेश, शपथ पत्र प्रारूप

(ओमप्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय।
2. सयुंक्त निदेशक, सू0प्रौ0 और संचार विभाग भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में स्थित समस्त समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता(LSP)/समस्त ई–मित्र संचालक को उक्तानुसार ओबीसी प्रमाण पत्र के ऑनलाईन आवेदन हेतु पाबन्द करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

परिशिष्ट–ड

शपथ–पत्र/बयान

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

मैं ________ पुत्र/पुत्री श्री ________

निवासी ________

गांव/शहर ________ तहसील ________ जिला ________

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.9.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति ________ का/की सदस्य हूं।

(2) मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ संलग्न अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग–1, समूह 'ख' वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।

(3) मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में ________ पद पर कार्यरत है/थे।

(4) मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय ________ रूपये है।

(5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।

(6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आया है।

(7) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

परिशिष्ट – ड

नमूना लेखा

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त स्थितियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का हूं/नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपबन्धित की जावे।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

D/Ankit/Cast Certificate